भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 450
24 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य और उनकी उत्पादन लागत

*450. एडवोकेट चन्द्र शेखर:
श्री हनुमान बेनीवाल:

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अंतर्गत आने वाली विभिन्न फसलों की उत्पादन लागत में हुई वृद्धि का फसल-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान लागत में हुई वृद्धि और न्यूनतम समर्थन मूल्य में हुई वृद्धि का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिकतम मात्रा में फसलों की खरीद करने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं और ऐसी फसलों की अधिकतम सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई खरीद की समीक्षा करती है; और
(ड.) यदि हां, तो राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में किन-किन फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत शामिल किए जाने के बावजूद उनकी खरीद नहीं की जा रही है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य और उनकी उत्पादन लागत" विषय पर माननीय सांसद श्री एडवोकेट चन्द्र शेखर और श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा पूछे गए दिनांक 24 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 450 के भाग (क) से (ङ) के संबंध में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): प्रत्येक वर्ष, सरकार राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों पर विचार करने के बाद कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर पूरे देश के लिए 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है।

वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना के स्तर पर रखने के पूर्व-निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 से उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर 50 प्रतिशत के न्यूनतम लाभ के साथ सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की थी, जिससे पूरे देश के किसानों को लाभ हुआ है। गत पांच वर्षों के दौरान 22 अधिदेशित फसलों के लिए वर्ष-वार उत्पादन लागत और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) से (ङ): कुल उत्पादन में से, केवल मार्केटेबल सरप्लस ही सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध होता है जब इन उत्पादों का बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो जाता है। किसानों को मूल्य समर्थन प्रदान करने के लिए सरकार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और अन्य नामित राज्य एजेंसियों के माध्यम से अनाज और मोटे अनाज की खरीद करती है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की छत्रक योजना के तहत मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है जब इन उत्पादों का बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो जाती है। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड) और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनसीसीएफ) पीएम-आशा योजना के तहत खरीद एजेंसियां हैं। कपास और जूट की खरीद भी सरकार द्वारा क्रमशः कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) और जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (जेसीआई) के माध्यम से एमएसपी पर की जाती है।

उत्पादन, मार्केटेबल सरप्लस, किसानों की सुविधा और भंडारण और परिवहन आदि जैसे अन्य लॉजिस्टिक्स/इन्फ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए संबंधित राज्य सरकार एजेंसियों द्वारा पर्याप्त संख्या में खरीद केंद्र खोले जाते हैं। मौजूदा मंडियों और डिपो/गोदामों के अतिरिक्त प्रमुख स्थानों पर अस्थायी खरीद केंद्र भी स्थापित किए जाते हैं।

खरीद प्रक्रिया एक निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है और पिछले कुछ वर्षों में,न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत खरीद प्रक्रियाओं में सुधार हुआ है ताकि किसानों के बैंक खाते में सीधे एमएसपी का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके और आधार और भूमि अभिलेखों को राज्य के खरीद पोर्टलों से जोड़ा जा सके,जिससे किसानों को एमएसपी खरीद का लाभ सीधे मिल सके।

घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, वर्ष 2030-31 तक दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से पूर्व-पंजीकृत किसानों से तुअर, उड़द और मसूर की खरीद की जाती है।

बढ़ी हुई एमएसपी से राजस्थान के किसानों सहित देश के किसानों को लाभ हुआ है, जो खरीद और किसानों को भुगतान की गई एमएसपी राशि के आंकड़ों से स्पष्ट है। 2004-2014 और 2014-2026 (फरवरी 2026 तक) के दौरान 22 एमएसपी फसलों (14 खरीफ फसलें जैसे धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, रामतिल, कपास और 6 रबी फसलें जैसे गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम्भ और दो व्यावसायिक फसलें जैसे (जूट और कोपरा) की खरीद और किसानों को भुगतान की गई एमएसपी राशि का विवरण निम्नानुसार है:

2004-2014		**2014-2026 (फरवरी, 2026 तक)**	
कुल खरीद (लाख मीट्रिक टन में)	**कुल एमएसपी मूल्य (लाख करोड़ में)**	**कुल खरीद (लाख मीट्रिक टन में)**	**कुल एमएसपी मूल्य (लाख करोड़ में)**
6987	7.41	12,292	26.32

अनुबंध

दिनांक 24.03.2026 को उत्तरार्ध लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 450 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक,

उत्पादन लागत (रुपये/क्विंटल) और न्यूनतम समर्थन मूल्य (मार्केटिंग सीजन के अनुसार)											
क्र. सं.	वस्तुएं	केएमएस 2021-22		केएमएस 2022-23		केएमएस 2023-24		केएमएस 2024-25		केएमएस 2025-26	
	<u>खरीफ फसलें</u>	अखिल भारत भारित उत्पादन मूल्य	एमएसपी	अखिल भारत भारित उत्पादन मूल्य	एमएसपी	अखिल भारत भारित उत्पादन मूल्य	एमएसपी	अखिल भारत भारित उत्पादन मूल्य	एमएसपी	अखिल भारत भारित उत्पादन मूल्य	एमएसपी
1	धान (सामान्य)	1293	1940	1360	2040	1455	2183	1533	2300	1579	2369
	धान (ग्रेड 'ए')		1960		2060		2203		2320		2389
2	ज्वार (हाइब्रिड)	1825	2738	1977	2970	2120	3180	2247	3371	2466	3699
	ज्वार (मालदंडी)		2758		2990		3225		3421		3749
3	बाजरा	1213	2250	1268	2350	1371	2500	1485	2625	1703	2775
4	रागी	2251	3377	2385	3578	2564	3846	2860	4290	3257	4886
5	मक्का	1246	1870	1308	1962	1394	2090	1447	2225	1508	2400
6	अरहर	3886	6300	4131	6600	4444	7000	4761	7550	5038	8000
7	मूंग	4850	7275	5167	7755	5705	8558	5788	8682	5845	8768
8	उड़द	3816	6300	4155	6600	4592	6950	4883	7400	5114	7800
9	कपास (मीडियम स्टेपल)	3817	5726	4053	6080	4411	6620	4747	7121	5140	7710
	कपास (लॉन्ग स्टेपल)		6025		6380		7020		7521		8110
10	मूंगफली	3699	5550	3873	5850	4251	6377	4522	6783	4842	7263
11	सूरजमुखी के बीज	4010	6015	4113	6400	4505	6760	4853	7280	5147	7721
12	पीली सोयाबीन	2633	3950	2805	4300	3029	4600	3261	4892	3552	5328
13	तिल	4871	7307	5220	7830	5755	8635	6178	9267	6564	9846
14	रामतिल	4620	6930	4858	7287	5156	7734	5811	8717	6358	9537

अनुबंध जारी....

उत्पादन लागत (रुपये/क्विंटल) और न्यूनतम समर्थन मूल्य (मार्केटिंग सीजन के अनुसार)											
	रबी फसलें	**आरएमएस 2022-23**		**आरएमएस 2023-24**		**आरएमएस 2024-25**		**आरएमएस 2025-26**		**आरएमएस 2026-27**	
		लागत	**एमएसपी**	**लागत**	**एमएसपी**	**लागत**	**एमएसपी**	**लागत**	**एमएसपी**	**लागत**	**एमएसपी**
15	गेहूं	1008	2015	1065	2125	1128	2275	1182	2425	1239	2585
16	जौ	1019	1635	1082	1735	1158	1850	1239	1980	1361	2150
17	चना	3004	5230	3206	5335	3400	5440	3527	5650	3699	5875
18	मसूर	3079	5500	3239	6000	3405	6425	3537	6700	3705	7000
19	रेपसीड और सरसों	2523	5050	2670	5450	2855	5650	3011	5950	3210	6200
20	कुसुम	3627	5441	3765	5650	3807	5800	3960	5940	4360	6540
	वाणिज्यिक फसलें										
		2022-23		**2023-24**		**2024-25**		**2025-26**		**2026-27**	
21	जूट	2959	4750	3095	5050	3237	5335	3387	5650	3662	5925
		2022		**2023**		**2024**		**2025**		**2026**	
22	कोपरा (मिलिंग)	6974	10590	7153	10860	7350	11160	7721	11582	8018	12027
	कोपरा (बॉल)		11000		11750		12000		12100		12500

नोटः केएमएसः खरीफ मार्केटिंग सीजन, आरएमएसः रबी मार्केटिंग सीजन

******